झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T. Campus, Ratu, Ranchi – 835222, e-mail: jcert.ran@gmail.com, website:jcert.jharkhand.gov.in

पत्रांकः– जे.सी.ई.आर.टी/नि.पा.पु.10–05/2023 665 राँची, दिनांकः–09/05/2024

प्रेषक,

आदित्य रंजन, *भा.प्र.से.,*
निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी., राँची।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखंड।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड।

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना।

सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड।

सभी अवर विद्यालय निरीक्षक/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखंड।

विषयः शैक्षणिक सत्र 2024–25 में कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा–9 से 12 तक की पाठ्य–पुस्तकों के वितरण हेतु दिशा–निदेश ।

महाशय/महाशया,

विगत वर्षो की भाँति इस वर्ष भी राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों, सभी सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों, मदरसों आदि में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों को विद्यालयों तक पहुँचाना एवं उन्हें छात्रों के बीच वितरित किया जाना है।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत सरकारी उच्च विद्यालय के कक्षा–9 से 12 तक के छात्र–छात्राओं को भी निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरित किया जाना है। शैक्षणिक सत्र 2024–25 में झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा नई पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रखंडों तक आपूर्त्ति के लिए मुद्रकों को निदेश दिये गये है । उक्त निदेश के आलोक में **पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्त्ति की अंतिम तिथि दिनांक 30 जून, 2024 तक निर्धारित की गई है । पाठ्य–पुस्तकों की विद्यालयों में आपूर्त्ति आदर्श आचार संहिता के बाद दिनांक 05.06.2024 से करते हुए छात्र–छात्राओं के बीच वितरित किया जाना है।** पाठ्य–पुस्तकों के प्राप्ति एवं वितरण संबंधी कार्य को समुचित रूप से निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित दिशा–निदेश निर्गत किए जाते हैं :

29.पुस्तकों की प्राप्ति एवं भंडारण की व्यवस्था :–

- **प्रखंड स्तर पर भंडारण की व्यवस्थाः**

  शैक्षणिक सत्र 2024–25 में सभी कक्षा की पुस्तकें मुद्रकों द्वारा प्रखंड मुख्यालय में एक अस्थायी भंडार में उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक प्रखंड भंडार की सूचना जिला को तत्काल प्रेषित करेंगे। सभी अवर विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे पाठ्य–पुस्तक भंडारण हेतु चयनित स्थल की सुरक्षा के प्रति सचेष्ट रहेंगे ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

❖ **<u>पुस्तकों की प्राप्तिः</u>**

सभी अवर विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी निर्धारित संख्या में पुस्तकों की प्राप्ति रसीद में प्राप्त पुस्तकों का विवरण भर कर ही प्राप्ति चालान मुद्रक को उपलब्ध करायेंगे एवं एक प्रति अपने जिला कार्यालय को उसी तिथि को भेजना सुनिश्चित करेंगे। **<u>जिला कार्यालय उक्त चालान की प्रति पर प्राप्त पुस्तकों की संख्या एवं प्राप्ति तिथि राज्य कार्यालय को प्रतिदिन भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के माध्यम से प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।</u>** प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की अनुपलब्धता में प्रखंड के प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पुस्तकें प्राप्त करेंगे। ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे पुस्तकों की आपूर्त्ति में मुद्रक को कोई कठिनाई नहीं हो तथा ट्रक अनावश्यक रूप से प्रखंड में खड़ा न रहे, इसे सुनिश्चित किया जायेगा। **<u>यदि मुद्रक का ट्रक किसी प्रखंड में 12 घंटे से ज्यादा खड़ा पाये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे।</u>**

30.पुस्तकों का वितरण :-

❖ **<u>पुस्तकों का विद्यालयों तक वितरणः</u>**

जैसे-जैसे पाठ्य-पुस्तकें प्रखंड स्तरीय भंडार में पहुँचेगी, संबंधित अवर विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पुस्तकों को भंडारित करने के पश्चात् उसकी संख्या का मिलान करेंगे तथा मुद्रक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करा देंगे। कक्षावार प्राप्त सभी पाठ्य-पुस्तकों को एक साथ संबंधित विद्यालय के प्रधान अथवा विद्यालय द्वारा अधिकृत शिक्षक को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। मुद्रकों द्वारा पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति प्रखण्डों में सुनिश्चित की जानी है लेकिन विद्यालयों को पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति दिनांक 05.06.2024 से की जायेगी । उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले पाठ्य-पुस्तकों का प्राप्ति के साथ-साथ विद्यालयों को वितरित किये जाने का कार्य किया जायेगा, इससे जहाँ प्रखंड में भंडारण हेतु स्थल उपलब्ध रहेगा वहीं पुस्तकें विद्यालयों तक पहुँचती जायेंगी। विद्यालयों को प्रखण्डों से पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु प्रति विद्यालय रू. 300/- का व्यय पाठ्य-पुस्तक मद से किया जायेगा ।

❖ **<u>नई पाठ्य-पुस्तकों का छात्रों के बीच वितरणः</u>**

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्राप्त नई पाठ्य-पुस्तकों का वितरण निम्न प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी :-

- **क) जिन छात्र-छात्राओं को अधिकतम अंक प्राप्त हुए हों।**
- **ख) जो छात्र-छात्रा पहली बार विद्यालय में नामांकित हुए हों।**
- **ग) जिन छात्र-छात्राओं की वर्ग कक्ष में उपस्थिति सर्वोत्तम रही हो।**

665
05/05/24

31.पुस्तकों का भंडार पंजी में अंकणः

❖ **<u>प्रखंड स्तर पर भंडार पंजी में अंकणः</u>**

मुद्रक द्वारा जैसे ही पुस्तकें प्रखंड मुख्यालय में पहुँचाई जायेगी संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पुस्तकों को अपनी भंडार पंजी में अंकित करते हुए इसके भंडारण की व्यवस्था

करेंगे। विद्यालयों को पुस्तकों को वितरित करते समय भंडार पंजी से पुस्तकों को निर्गत दिखाते हुए भंडार पंजी में निर्धारित स्थल पर प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर तिथि के साथ प्राप्त किया जायेगा।

❖ **<u>विद्यालय स्तर परः</u>**

संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक प्रखंड से पुस्तकें प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय के भंडार पंजी में तिथि के साथ अंकित कर लेंगे एवं इसके पश्चात् कक्षा 1 के छात्र/छात्राओं को छोड़कर (जो अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते) शेष सभी कक्षा के छात्र/छात्राओं का हस्ताक्षर पुस्तक वितरण पंजी में लेते हुए पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया जायेगा। कक्षा - I के छात्र-छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराते समय संबंधित वर्ग शिक्षक द्वारा पावती दी जाएगी। पाठ्य-पुस्तक के छात्रों के बीच वितरण के दौरान वितरण की गई पाठ्य पुस्तकों का वर्गवार विवरण eVV में उपलब्ध कराया जाना है। यह कार्य विद्यालय द्वारा ससमय सुनिश्चित किया जाएगा।

32.मुद्रक/आपूर्त्तिकर्त्ताओं का विवरण :-

कक्षा	मुद्रक/आपूर्त्तिकर्त्ता का नाम	आवंटित जिले का नाम
I	मेसर्स काजमी एण्ड एसोसिएट्स, इलाहाबाद	सभी जिले
II	मेसर्स हेक्सागन प्रिंट एण्ड पैक प्रा. लि., मुंबई	सभी जिले
III	मेसर्स लखनऊ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिसर्स, लखनऊ	बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, एवं साहेबगंज
	मेसर्स भार्गव भूषण प्रेस, वाराणसी	प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, गढ़वा, लातेहार एवं पलामू
IV	मेसर्स स्वपना प्रिन्टिंग वर्क्स प्रा. लि., कोलकाता	बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, एवं साहेबगंज
	मेसर्स श्री सोमनाथ ऑफसेट, भावनगर, गुजरात	प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, गढ़वा, लातेहार एवं पलामू
V	मेसर्स स्काईलार्क प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसर्स प्रा.लि., मथुरा	बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, एवं साहेबगंज
	मेसर्स श्री शारदा प्रेस, भावनगर, गुजरात	प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, गढ़वा, लातेहार एवं पलामू
VI	मेसर्स मुद्रण महल, आगरा	प. सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहेबगंज
	मेसर्स मनोहर प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा	कोडरमा, गढ़वा, लातेहार एवं पलामू
	मेसर्स जी-टेक प्रिंट वर्क्स, मथुरा	बोकारो, चतरा, धनबाद एवं गिरिडीह
	मेसर्स न्यू रतन प्रिया, पटना	हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची एवं सिमडेगा
VII	मेसर्स बॉक्स कौरूगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, भोपाल	गुमला, खूँटी, राँची, लोहरदगा, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़, पाकुड़, साहेबगंज एवं लातेहार
	मेसर्स वर्क स्टेशन सिस्टम प्रा.लि. भोपाल	बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं रामगढ
	मेसर्स सिंघल एजेन्सीज, लखनऊ	प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, गढ़वा एवं पलामू
VIII	मेसर्स नेशनल प्रिन्टर्स, राँची	बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहेबगंज
	मेसर्स ऑइस्टर प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसर्स प्रा.लि., मथुरा	गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची, सिमडेगा, प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, गढ़वा, लातेहार एवं पलामू
IX	मेसर्स नेशनल प्रिन्टर्स, राँची	बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ गुमला एवं खूँटी
	मेसर्स स्वपना प्रिन्टिंग वर्क्स प्रा. लि., कोलकाता	गढ़वा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा एवं राँची
	मेसर्स सिंघल एजेन्सीज, लखनऊ	देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज एवं सिमडेगा
	मेसर्स स्काईलार्क प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसर्स प्रा.लि., मथुरा	प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, एवं सरायकेला-खरसावाँ
X	मेसर्स बॉक्स कौरूगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, भोपाल	बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग एवं कोडरमा
	मेसर्स मुद्रण महल, आगरा	राँची, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहेबगंज
	मेसर्स काजमी एण्ड एसोसिएट्स, इलाहाबाद	प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, रामगढ़ एवं गढ़वा
	मेसर्स वर्क स्टेशन सिस्टम प्रा.लि. भोपाल	लातेहार, पलामू, गुमला, खूँटी, लोहरदगा एवं सिमडेगा
XI	मेसर्स ऑइस्टर प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसर्स प्रा.लि., मथुरा	प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गढ़वा, लातेहार एवं पलामू
	मेसर्स जी-टेक प्रिंट वर्क्स, मथुरा	गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहेबगंज
XII	मेसर्स लखनऊ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिसर्स, लखनऊ	प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं रामगढ़
	मेसर्स हेक्सागन प्रिंट एण्ड पैक प्रा. लि., मुंबई	गढ़वा, लातेहार, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज एवं बोकारो
	मेसर्स श्री सोमनाथ ऑफसेट, भावनगर, गुजरात	पलामू, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची एवं सिमडेगा

665
09/05/24

सभी जिलों से प्राप्त आवश्यकता प्रतिवेदन को आधार मानकर प्रखण्डवार मुद्रित कराई गई पाठ्य-पुस्तकों की संख्या का विवरण ई-मेल पर उपलब्ध करायी जा रही है।

33.पुस्तक वितरण हेतु कोषांग का गठन एवं विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिका :-

- **राज्यस्तरीय कोषांग**

  राज्य स्तरीय कार्यालय में पुस्तक वितरण से संबंधित राज्य स्तरीय कोषांग गठित है, जहाँ पर दो वरीय पदाधिकारी तथा दो सहायक पुस्तक प्राप्ति/वितरण का अनुश्रवण करेंगे। प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन संध्या 4.00 बजे तक अपने जिले के सभी प्रखंडों की पुस्तक प्राप्ति का ब्यौरा दिये गये प्रपत्र में प्रखंडवार ई-मेल के माध्यम से झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को jcerttextbook@gmail.com/jepctextbook@gmail.com पर भेजेंगे। यदि किसी दिन प्रतिवेदन शून्य हो तो शून्य प्रतिवेदन भी भेजना सुनिश्चित करेंगे। राज्य स्तरीय कोषांग में झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के श्री मसूदी टुडू, सहायक निदेशक (मो. 9431178058/9798142402) होंगे।

- **जिला स्तरीय कोषांग:** समग्र शिक्षा के जिला स्तरीय कार्यालय में गठित पाठ्य पुस्तक कोषांग के प्रभारी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे। संबंधित पदाधिकारी प्रखंडवार प्रतिवेदन राज्य स्तरीय कोषांग को ई-मेल से उपर्युक्त निदेश के आलोक में उपलब्ध करायेंगे।

34.पुस्तकों के विद्यालय स्तर पर परिवहन (प्रति विद्यालय अधिकतम रू. 300/-), भंडार पंजी आदि के लिए आवश्यक निधि जिलों में उपलब्ध पाठ्य-पुस्तक मद से व्यय किया जाय।

35.पाठ्य-पुस्तक वितरण हेतु निर्धारित निदेशों का कठोरता से पालन किया जाय तथा पुस्तकों की आपूर्त्ति में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में उसे तुरंत राज्य स्तरीय कोषांग की संज्ञान में लाया जाय।

36.पाठ्य-पुस्तकों में वाटरमार्क की उपलब्धता एवं पाठ्य-पुस्तकों में मुद्रण संबंधी त्रुटि से संबंधित न्यूनतम 5 प्रतिशत पाठ्य-पुस्तकों की सैम्पल जाँच विद्यालय को वितरित करने के दौरान ही कर ली जाए, जिससे कि त्रुटिपूर्ण पाठ्य-पुस्तकों से संबंधित कार्रवाई तत्काल की जा सके ।

37.यदि कोई मुद्रण से संबंधित त्रुटिपूर्ण पाठ्य-पुस्तकें पाई जाती है, तो अविलम्ब साक्ष्य सहित इसकी सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय जिससे अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

38. प्रखण्डों में कक्षावार पाठ्य-पुस्तकों की प्राप्ति पूर्ण होने के उपरांत, जिस कक्षा की पाठ्य-पुस्तकें पूर्णतः उपलब्ध हो गई हों, उनका प्रखण्डवार प्राप्ति एवं 5 प्रतिशत सैम्पल जाँच से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र के अनुसार प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जिला कार्यालय में प्राप्त किया जाय।

665
09/05/24

TEXT BOOKS REPORT 2024-25 Books Receiving and 5% Sample Verification Report															
Name of the Printer... District........................... , ...													Class.............. Block		
Sl. No.	Name of the Block	No. of Sets Ordered					No. of Sets Received					Date of Receiving	Whether watermark available or not (Write Yes/No)	Whether any Mis-printing pages (Write Yes/No), if yes please give details
		Hindi	Urdu	Regional	Tribal	Total	Hindi	Urdu	Regional	Tribal	Total			
1														
TOTAL														

This is to certify that the above information is true and correct in best of my knowledge and record.

Signature of BPO with seal **Signature of BEEO/Representative with seal**

39. जिलों में कक्षावार पाठ्य-पुस्तकों की प्राप्ति पूर्ण होने के उपरांत, जिस कक्षा की पाठ्य-पुस्तकें पूर्णतः उपलब्ध हो गई हों, उनका प्रखण्डवार प्राप्ति एवं 5 प्रतिशत सैम्पल जाँच से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जे.सी.ई.आर.टी. कार्यालय को ई-मेल एवं डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना है ।

TEXT BOOKS REPORT 2024-25 Books Receiving and 5% Sample Verification Report														
Name of the Printer... District...........................												Class..............		
Sl.No.	Name of the Block	No. of Sets Ordered					No. of Sets Received					Date of Receiving	Whether watermark available or not (Write Yes/No)	Whether any Mis-printing pages (Write Yes/No), if yes please give details
		Hindi	Urdu	Regional	Tribal	Total	Hindi	Urdu	Regional	Tribal	Total			
1														
TOTAL														

This is to certify that the above information is true and correct in best of my knowledge and record.

Signature of ADPO/In-charge **Signature of DEO-cum-DPO with seal**

40. मुद्रकों द्वारा प्रखण्डवार/कक्षावार उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्य-पुस्तक सेटों की संख्या की विवरणी सभी जिलों को इस पत्र के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।

665
09/05/24

41. प्रखण्ड से विद्यालयों को वर्गवार पाठ्य-पुस्तक वितरण के समय, नामांकन के विरुद्ध वितरित की गई पाठ्य-पुस्तकों की संख्या, विद्यालयों में कक्षावार वितरित की गई पाठ्य-पुस्तकों की संख्या एवं अवशेष पाठ्य-पुस्तकों की संख्या का समेकन प्रखण्ड में किया जायेगा एवं प्रखण्डवार उपर्युक्त विवरण को समेकित करते हुए जे.सी.ई.आर.टी. को उपलब्ध कराई जानी है। जिलावार / प्रखण्डवार / विद्यालयवार / कक्षावार / छात्र-छात्रावार उपलब्ध कराये गये पाठ्य-पुस्तकों की प्राप्ति विवरण (पूर्व की पाठ्य-पुस्तकों सहित) कम्प्युटर के एक्सेल शीट में दर्ज करते हुए निम्न प्रपत्र जे.सी.ई.आर.टी. कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है जिससे सभी बच्चों को पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

TEXTBOOKS DISTRIBUTION REPORT 2024-25										
Name of District	Name of Block	Name of the School	UDISE Code	Class I to VIII in Sequence	Sl. No.	Name of Student	B/G B-Boy/ G-Girl	Category (SC/ST/ OBC/ Muslim/Gen	Availability of textbooks from	
									New Set	Book Bank
						A			1	0
						B			0	1

उपर्युक्त प्रपत्र में पाठ्य-पुस्तकों के सभी कक्षाओं में वितरण के उपरांत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है। यह उपयुक्त होगा कि विद्यालयों में कक्षावार नामांकित बच्चों का कम्प्युटर में इंट्री पूर्व से करा ली जाय एवं जैसे-जैसे पाठ्य-पुस्तकें बच्चों के बीच वितरित होती जाय उसके आँकड़े भी कम्प्युटरीकृत किये जायें। इसे eVV में भी upload किया जाना है। प्रखण्डवार आँकड़ों की इंट्री के लिए संबंधित जिला अपने स्तर से अपने अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मियों को निदेशित करेंगे। पाठ्य-पुस्तक वितरण पूर्ण होने के 15 दिनों के उपरांत उपर्युक्त सूची जे.सी.ई.आर.टी. को उपलब्ध करा दिया जाय जिससे बच्चों के पाठ्य-पुस्तक प्राप्ति संबंधी स्थिति/प्रतिवेदन से विभिन्न प्राधिकार को अवगत कराया जा सके।

42. छात्र-छात्राओं को पाठ्य-पुस्तक प्राप्ति की अनुश्रवण ई-विद्यावाहिनी सॉफ्टवेयर के द्वारा भी किया जाना है।

665
09/05/24

निदेशित किया जाता है कि इस पत्र में दिये गये निदेशों पर अपेक्षित कार्रवाई अविलम्ब प्रारंभ की जाय।

विश्वासभाजन,

09/05

(आदित्य रंजन)
निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी., राँची

08/05/2024